(12)

band-3 of Rs. 15600-39100+grade pay of Rs. 5400 or equivalent in the parent cadre or Department.

(iii) with eight years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-2 of Rs. 9300-34800+grade pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or Department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience:—

Essential:

(i) Master's degree in Zoology or Industrial Fisheries or Chemistry or Bio-Chemistry or Food Technology or Fisheries or Fisheries Science of a recognized University or Institute or Diploma in Fishery Science from Central Institute of Fishery Education, Mumbai;

(ii) With five years 'experience in a supervisory capacity in the field of Fish Processing and Fish Marketing.

Desirable:

1. Post Graduate Degree or Post Graduate Diploma in Management with specialization in Marketing Management.

Note: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by Promotion. Period of deputation (including short term contract) including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

[F.No. 5-28/2001-Fy. Admn.]

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 20 मई, 2009

सा.का.नि. 72.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, और अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन (फोटोग्राफिक सहायक) भर्ती नियम, 1079 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे

अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण (एस एल यू एस आई) में फोटोग्राफिक सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण (फोटोग्राफिक सहायक) भर्ती नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
फोटोग्राफिक सहायक	1(एक)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + 2800 (ग्रेड वेतन)	लागू नहीं होता	नहीं	27 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 10 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)	(11)
आवश्यक : (i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य : (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक विषय के रूप में प्रोसेस कैमरे के साथ मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या समतुल्य ; (iii) सुव्यवस्थित मुद्रण फर्म में प्रोसेस कैमरा और फोटोलिथोग्राफी के कार्य का अनुभव (अनुभव संबंधी अर्हताएं नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय हैं कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।) **वांछनीय :** (i) एयर फोटोमजेइक को तैयार करने का अनुभव ; (ii) कार्टोग्राफिक कार्यों के व्यवस्थापन, नक्शों, आरेखों, चार्टों, आदि की फोटोग्राफी का अनुभव ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता। (पद पर भर्ती सीधी भर्ती के माध्यम से होगी।)	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 3-13/2008-एनआरएम-II]

श्रीमती कैलाश प्रसाद, अवर सचिव

(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 20th May, 2009

G.S.R. 72.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Soil and Land Use Survey Organisation (Photographic Assistant) Recruitment Rules, 1979, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Photographic Assistant in the Soil and Land Use Survey (SLUSI) namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Soil and Land Use Survey of India (Photographic Assistant) Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Pay Band	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Photographic Assistant	1(ONE)	General Central Service Group	Pay Band-1 Rs. 5200-20,200+	Not applicable	No	Not exceeding 27 years (relaxable for Government Servants

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 2800 (Grade Pay)			up to 10 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note :** The crucial date for determining age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim and Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by Deputation or Absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)	(11)
Essential: (i) Matriculation or equivalent (ii) Diploma in Printing Technology with process camera as one of the subject from a recognized Institute or equivalent (iii) Experience of working with process camera and photo-lithography in a well established printing form. (The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of appointing authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection the appointing authority	Not Applicable	Two years	By direct Recruitment

(8)
is of opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill-up the vacancies reserved for them). **Desirable** : (i) experience in preparation of air photomosaics; and (ii) experience in handling cartographic works, photography of maps, diagrams, charts etc.

In case of recruitment by Promotion or Deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)	(14)
Not applicable	Not applicable (Recruitment of Post is through Direct recruitment)	Not applicable

[F.No. 3-13/2008-NRM-II]
Smt. KAILASH PRASAD, Under Secy.

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 मई, 2009

सा.का.नि. 73.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो कनिष्ठ गैस्टेटनर आपरेटर दफ्तरी और चपरासी समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2008 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो कनिष्ठ गेस्टेटनर आपरेटर, दफ्तरी और चपरासी समूह 'घ' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो कनिष्ठ गेस्टेटनर आपरेटर दफ्तरी और चपरासी समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2008 की अनुसूची में :–

(क) क्रम संख्यांक 1, 2 और 3 पर वर्णित पदों के सामने, स्तंभ 3 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर ''साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ', अराजपत्रित अनुसचिवीय'' प्रविष्टि रखी जाएगी।

(ख) क्रम संख्यांक 1 पर वर्णित पद के सामने, स्तंभ (5) के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर ''चयन'' प्रविष्टि रखी जाएगी।

(ग) क्रम संख्यांक 2 पर वर्णित पद के सामने स्तंभ (5) के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर ''चयन'' प्रविष्टि रखी जाएगी।

(घ) क्रम संख्यांक 1, 2 और 3 पर वर्णित पदों के सामने, स्तंभ (8) के नीचे के टिप्पण में, ''सक्षम प्राधिकारी'' शब्द जहां-जहां वे आते हैं, के स्थान पर ''केन्द्रीय सरकार'' शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 22/2/2007-एम. III]
आर. के. मल्होत्रा, उप सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र में, सं. सा.का.नि. 82 तारीख 22 अप्रैल, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।